

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

4, पर्यावरण मार्ग, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर-302004(राजस्थान)

क्रमांक: प03(620)/रा.प्र.नि.मं./स्था./सीधी भर्ती/2023-24/2464

दिनांक: 05.10.2023

विज्ञापन संख्या: 01 / 2023

विधि अधिकारी-द्वितीय/कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी/कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा,2023

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल कर्मचारी सेवा नियम एवं विनियम, 1993 की अनुसूची-1 तथा यथा समय-समय पर संशोधित नियमों के अन्तर्गत सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन-पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं। मण्डल द्वारा पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है, जिसके लिए अलग से सूचना/शुद्धिपत्र जारी नहीं किया जायेगा। आरक्षित पदों की गणना नियमानुसार की गई है। इसमें मानवीय भूल के कारण रही त्रुटि के सम्बन्ध में मण्डल को संशोधन का अधिकार होगा। पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	पद का नाम	गैर अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	कुल योग
1.	विधि अधिकारी-द्वितीय (LO-II)	02	00	02
2.	कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (JSO)	59	00	59
3.	कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता (JEE)	50	03	53

आवश्यक नोट:- राज्य सरकार/मण्डल सेवा नियमों में यदि कोई संशोधन होता है तो यह परीक्षा उसके अनुसार ही आयोजित की जायेगी।

गैर अनुसूचित क्षेत्र:-

पद का नाम	कुल पद	सामान्य (Gen-UR)			अनुसूचित जाति (SC)			अनुसूचित जनजाति (ST)			पिछड़ा वर्ग (BC)			अति पिछड़ा वर्ग (MBC)			आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)			दिव्यांगजनों / दिव्यांगजन (Person with Disabilities)	भूतपूर्व सैनिक (Ex.- Service men)	उत्कृष्ट खिलाड़ी (Outstanding Sportsperson)		
		सामान्य	महिला	विधवा	परिरक्षिता	सामान्य	महिला	विधवा	परिरक्षिता	सामान्य	महिला	विधवा	परिरक्षिता	सामान्य	महिला	विधवा	परिरक्षिता	सामान्य	महिला				विधवा	परिरक्षिता
LO-II	02	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
JSO	59	17	5	2	0	7	2	0	0	5	2	0	0	9	2	1	0	2	0	0	4	1	0	0
JEE	50	15	5	1	0	5	2	0	0	5	1	0	0	7	2	1	0	2	0	0	3	1	0	0

Abbreviations used : Gen-General, SC-Scheduled Caste, ST-Scheduled Tribes, BC- Backward Classes, MBC-Most Backward Classes, EWS-Economically Weaker Section

अनुसूचित क्षेत्र:-

राज्य मण्डल के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय, बांसवाड़ा में निम्नलिखित रिक्तियाँ उपलब्ध है।

पद का नाम	कुल पद	सामान्य (Gen-UR)			अनुसूचित जाति (SC)			अनुसूचित जनजाति (ST)			पिछड़ा वर्ग (BC)			अति पिछड़ा वर्ग (MBC)			आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)			विशेष योग्यजन/ दिव्यांगजन (Horizontal Reservation)	भूतपूर्व सैनिक (Ex.- Service men)	उत्कृष्ट खिलाड़ी (Outstanding Sportsperson)	
		सामान्य	महिला	विधवा	परिरक्षिता	सामान्य	महिला	विधवा	परिरक्षिता	सामान्य	महिला	विधवा	परिरक्षिता	सामान्य	महिला	विधवा	परिरक्षिता	सामान्य	महिला				विधवा
JEE	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbreviations used : Gen-General, SC-Scheduled Caste, ST-Scheduled Tribes, BC- Backward Classes, MBC-Most Backward Classes, EWS-Economically Weaker Section

नोट:-

- कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जाति या यथास्थिति अनुसूचित जन जाति के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्तर्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रणीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रणीत की गयी रिक्तियाँ सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसी भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या यथास्थिति, अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्त पश्चात्तर्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।
- राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार रिक्त रखा जायेगा।

3. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
4. अति पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: प.2(12)/विधि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग की जातियों (नॉन क्रीमीलेयर) को 5 प्रतिशत आरक्षण देय है।
5. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: प.7(1)/कार्मिक/क-2/2019 दिनांक 19.02.2019 एवं 20.10.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।
6. मण्डल द्वारा भरे जाने वाले उक्त रिक्त पदों में महिला एवं विशेष योग्यजन हेतु आरक्षित पद का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से होगा। अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का होगा उसी प्रवर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
7. महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक: प.7(2)कार्मिक/क-2/88 पार्ट-1 दिनांक 22.12.2015 के अनुसार 30 प्रतिशत होगा।
8. महिलाओं हेतु आरक्षित अभ्यर्थी दर्शाये गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विवाह विच्छिन्न महिला) के लिए आरक्षित है। किसी वर्ग (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/विशेष योग्यजन) की पात्र एवं उपयुक्त विधवा/परित्यक्ता महिला (विवाह विच्छिन्न महिला) अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग की अन्य महिला अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। विधवा अभ्यर्थी होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह विच्छिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. किसी वर्ष विशेष में विधवाओं के लिए तथा विच्छिन्न विवाह महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर-परिवर्तन द्वारा अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह महिलाओं से या विपर्ययेन, भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के दशा में, न भरी गई रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित है। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्त, पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेगी। विधवा और विच्छिन्न विवाह महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिला को भी पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।
10. विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें पि.व./अति.पि.व. के आवेदकों के लिये नॉन क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र शामिल है। पति के नाम एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
11. मुस्लिम विवाह विच्छिन्न (Divorcee) महिलाओं के मामले में न्यायालय की तलाक की डिक्री के अलावा तलाकनामा जारी करने हेतु अधिकृत काजी द्वारा जारी तलाकनामा भी मान्य होगा परन्तु इस बाबत महिला को समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों का स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा जो उनके तलाक को प्रमाणित करें एवं साथ ही महिला स्वयं को भी इस सम्बंध में स्वयं का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। मुस्लिम महिलाओं के अतिरिक्त अन्य विवाह विच्छिन्न महिलाओं को सक्षम न्यायालय द्वारा तलाकनामा के डिक्री जारी होने पर ही विवाह विच्छिन्न श्रेणी के आरक्षण का लाभ देय होगा।
12. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा CA No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा DBSAW No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे Public employment में एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./एम.बी.सी. वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
13. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में वर्णित दिव्यांगजन की प्रत्येक श्रेणी को एक-एक प्रतिशत आरक्षण निम्नानुसार देय है:-
 (अ) दृष्टि बाधित और अल्पदृष्टि।
 (ब) श्रवण बाधित।
 (स) सेरेब्रल पाल्सी, कूष्ठ रोग, बौनापन, एसिड पीडित, मॉसपेशियों की डिसट्राफी सहित समस्त चलन-निःशक्तता।
 (द) (1) ऑटिज्म, बौद्धिक निःशक्तता, लर्निंग निःशक्तता एवं मानसिक रूग्णता।
 (2) बहुविकलांगता उपरोक्त ग्रुप-अ से द तक में वर्णित निःशक्तता एवं श्रवण शक्ति का हास एवं दृष्टि बाधित सहित।
 रिक्तियों का उक्त आरक्षण क्षैतिज माना जायेगा और बैचमार्क दिव्यांगजन के लिए रिक्तियां एक अलग वर्ग के रूप में संधारित की जावेगी।
14. यदि कोई पद विशेष योग्यजन की किसी एक ही श्रेणी के लिए उपयुक्त होना चिन्हित किया गया है तो उस स्थिति में विशेष योग्यजन के हेतु आरक्षित सभी 4 प्रतिशत पद विशेष योग्यजन की उसी श्रेणी से भरे जायेंगे।
15. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैचमार्क दिव्यांगजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैचमार्क दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तर परिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। अन्तर परिवर्तन करने के पश्चात् भी यदि किसी रिक्ति हेतु कोई दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को दिव्यांगजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
16. उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F-5(31)DOP/A-II/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% देय होगा।

शैक्षणिक योग्यताएं:-

(1).

Law Officer-II:-

Must be a Law graduate from a University established by law in India or its equivalent with three years course of proficiency degree.

Junior Scientific Officer:-

First Class M.Sc./M.S. in any branch of Chemistry/Soil Science/Environmental Science/Microbiology after B.Sc./B.S. in any discipline of Science from a University established by Law in India or a Foreign Qualification recognized equivalent thereto.

Junior Environmental Engineer:-

M.Tech./M.E. degree in Environmental Engineering after B.Tech./B.E. degree in Biotechnology/Chemical/Civil/Mining/Environmental/Textile Engineering from a University established by Law in India or Foreign Qualification recognized as equivalent thereto or a First Class B.Tech./B.E. Degree in any of the above branches of Engineering from a University established by Law in India or a Foreign Qualification recognized equivalent thereto.

Note:- if a class/division is not awarded, minimum of 60% marks in aggregate shall be considered equivalent to first class/division. If a Grade Point System is adopted the CGPA will be converted to equivalent marks as per procedure adopted by the respective University/Institution.

पै-बैण्ड एवं ग्रेड-पे (वेतनमान):-

राज्य सरकार द्वारा देय सातवें वेतन आयोग के अनुसार **विधि अधिकारी-द्वितीय** का वेतनमान **पे मैट्रिक्स लेवल-12, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी** का वेतनमान **पे मैट्रिक्स लेवल-12** तथा **कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता** का वेतनमान **पे मैट्रिक्स लेवल-10** निर्धारित है।

नोट:- ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन (नियम), 2017 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों के अन्तर्गत परीक्षा कालावधि जो 2 वर्ष की है, के लिए, नियत दर से पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) संदत्त किया जायेगा अथवा जो अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें नियमानुसार पातेय वेतन भत्ते देय होंगे। पद का विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, पे-मैट्रिक्स, सम्बंधित भर्ती नियमों में उल्लिखित परीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की दिनांक से ही अनुज्ञात किया जायेगा।

आयु सीमा:-

आवेदक दिनांक 01.01.2024 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, परन्तु राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक:प.7(6)कार्मिक/क-II/2008 दिनांक: 23.09.2008 के क्रम में जारी अधिसूचना के अनुसार- "जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो तो और यदि कोई अभ्यर्थी उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जायेगा किन्तु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जायेगी"।

स्पष्टीकरण:-

विधि अधिकारी-द्वितीय के पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन विगत 03 वर्ष में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जायेगी तथा कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी एवं कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता के पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन विगत 01 वर्ष में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जायेगी।

शैक्षणिक अर्हता सम्बन्धी प्रावधान :-

उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अन्तिम वर्ष में सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसको मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा अन्यथा वह अपात्र होगा।

राष्ट्रीयता:-

- (क) भारत का नागरिक हो, या
(ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या
(ग) भूटान का प्रजाजन हो, या
(घ) तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 01-01-62 से पहले स्थाई रूप से बसने के विचार से भारत आया हो, या
(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति है, जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्व का तंजानिया, जंजीबार, जाम्बिया, मालाबार, जैर तथा इथोपिया) से भारत आया है।

नोट:-वर्ग (ख),(ग),(घ) और (ङ) से सम्बंधित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह एवं न्यायिक विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

ऐसे अभ्यर्थी जिनके मामलों में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक है, को परीक्षा में बैठने दिया जा सकेगा तथा उसे भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र दिये जाने के अर्धधीन अन्तिम तौर पर नियुक्त किया जा सकेगा।

- अन्य देशों से भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आये व्यक्तियों की पात्रता की शर्तें:- इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी सेवा में भर्ती की पात्रता हेतु राष्ट्रीयता, आयु सीमा, फीस तथा अन्य रियायतों संबंधी उपबन्ध, ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से अन्य देशों से भारत में आया हो, ऐसे आदेशों या अनुदेशों द्वारा विनियमित होंगे जो सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जायें और ऐसे आदेशों या अनुदेशों को भारत सरकार द्वारा इस विषय में जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार यथावश्यक परिवर्तनों सहित विनियमित किया जायेगा।

अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश:-

- अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या: एफ. 13(20) कार्मिक/क-2/91/पार्ट दिनांक 04.07.2016 के अनुसार की जायेगी।

2. अनुसूचित क्षेत्र भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या: एफ.19(2) 80-एल-1 दिनांक 12.02.1981 द्वारा घोषित क्षेत्र है। राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र का विवरण राज्य मण्डल की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के लिए आवेदन व परीक्षा सम्बंधी दिशा-निर्देश में उपलब्ध है।

नोट:- अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए वेतनमान, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु, पेंशन, विवाह पंजीयन एवं ऑनलाईन आवेदन भरने, नियुक्ति की अयोग्यताएँ, प्रमाण-पत्रों के सत्यापन, अनुचित साधनों की रोकथाम, ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया एवं परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं स्कीम सम्बंधी प्रावधान गैर अनुसूचित क्षेत्र के समान यथावत लागू होंगे।

विभिन्न वर्गों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के प्रावधान:-		
क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियाँ	अधिकतम आयु में देय छूट
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	5 वर्ष Five Years
2.	सामान्य(अनारक्षित) वर्ग की महिला अभ्यर्थी Women Candidates belonging to General Category	5 वर्ष Five Years
3.	राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी Women Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	10 वर्ष Ten Years
4.	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता/तलाकशुदा) महिला Widow and divorcee Women स्पष्टीकरण:- विधवा के मामले में, उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और तलाकशुदा के मामले में, उसे तलाक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।	अधिकतम आयु सीमा नहीं No Upper age limit
5.	उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो उसकी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर Substantive तौर पर सेवा कर चुका था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था। That upper age limit mentioned above, shall not apply in the case of an ex-prisoner who had served under the Government on a substantive basis on any post before conviction and was eligible for appointment under the rules.	
6.	ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में, उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उसके द्वारा भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा जो दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु का नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था। That upper age limit mentioned above, shall be relaxed by a period equal to the terms of imprisonment served in the case of an ex-prisoner who was not over age before conviction and was eligible for appointment under the rules.	
7.	कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उनके द्वारा, राष्ट्रीय कैडेट कोर में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो ऐसे अभ्यर्थी को विहित आयु सीमा में समझा जायेगा। That the upper age limit mentioned above shall be relaxable by a period equal to the service rendered in the N.C.C. in the case of Cadet Instructor and if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit.	
8.	निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे सीधी भर्ती के लिए राज्य मण्डल के समक्ष उपस्थित हों, आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे। That the released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after release from the Army shall be deemed to be within the age limit even though they have crossed the age limit when they appear before the State Board had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.	
9.	राज्य, पंचायत समिति तथा जिला परिषद और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम/निगम के कार्यकलापों के सम्बंध में Substantive हैसियत से सेवा कर रहे व्यक्तियों के सम्बंध में ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी। That the upper age limit for persons serving in connection with affairs of the State, Panchayat Samities and Zila Parishad and in the State Public Sector Undertaking/ Corporation in Substantive capacity shall be 40 years.	
10.	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु यह कि शिथिलीकरण के पश्चात् यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी। According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules, 1988, relaxation in upper age limit shall be ten years to Ex-servicemen. Provided that if permissible age after relaxation works out to be more than 50 years then upper age limit of 50 years will be applicable. स्पष्टीकरण:- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.08.2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 यथासंशोधित के प्रावधानों के होते हुए भी किसी भर्ती से सम्बंधित सेवा नियमों में आयु सम्बंधी जो शिथिलता अन्य लोक सेवकों/अभ्यर्थियों को देय है, वह भूतपूर्व सैनिक को भी देय होगी अर्थात् आयु सम्बंधी शिथिलता के सम्बंध में दोनों नियमों में जो भी हितकर प्रावधान है, उसका लाभ भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा।	
11.	राजस्थान विद्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निःशक्तजन व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु	

	सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी। According to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules, 2018, the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 05 years for persons with benchmarks disabilities.
नोट –	
<p>(1) उपर्युक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के बिन्दु संख्या 1 से 10 तक के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपर्युक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।</p> <p>(2) विशेष योग्यजन को, ऊपरी आयु सीमा में देय छूट के उपर्युक्त बिन्दु संख्या 01 से 10 तक के अनुसार छूट दिये जाने के पश्चात् बिन्दु संख्या 11 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार अतिरिक्त छूट देय होगी।</p> <p>(3) कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 एवं पत्र दिनांक 14.09.2017 के अनुसार यदि किसी आरक्षित वर्ग (SC/ST/BC/MBC/EWS) के अभ्यर्थी को देय किसी रियायत (जैसे-आयु सीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ दिया जाता है तो उसे अनारक्षित रिक्रितियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।</p> <p>(4) राजस्थान सेवा नियम एवं मण्डल के नियमों में सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p> <p>(5) आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये हैं। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मान्य होंगे।</p>	
अन्य विवरण	
चयन प्रक्रिया	अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। यह परीक्षा केवल ऑनलाईन आयोजित की जायेगी। जिसके संबंध में विवरण मण्डल की वेबसाइट पर यथा समय प्रकाशित कर दिया जायेगा।
परीक्षा स्थान एवं तिथि	परीक्षा स्थान व तिथि यथासमय वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी जाएगी।
आवेदन अवधि	दिनांक 18.10.2023 से दिनांक 17.11.2023 रात्रि 12 बजे तक।
आवेदन प्रक्रिया	<ol style="list-style-type: none"> ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को मण्डल की वेबसाइट http://environment.rajasthan.gov.in/rpcb पर उपलब्ध Apply online link को Click करना होगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी ई-मित्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने से पूर्व मण्डल के पोर्टल पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें। यदि आवेदन पत्र ऑनलाईन स्वीकृत होता है परन्तु किन्हीं कारणों (जिसमें सॉफ्टवेयर की त्रुटि शामिल है) से बाद में आवेदन निरस्त होने योग्य पाया जाता है तो उसे निरस्त किया जायेगा। अतः आवश्यक है कि आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी अपनी अर्हता के सम्बंध में सुनिश्चित हो लें। आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन-पत्र क्रमांक (Application ID) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन जमा नहीं हुआ है, उसके आवेदन-पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं माना जायेगा। आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑनलाईन आवेदन करें। राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रिमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक, आरक्षण, आयु आदि की अर्हता से संबंधित कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया जावे। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी का प्रिन्ट आवश्यक रूप से निकाल कर अपने पास रख लें। मण्डल द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाईन आवेदन-पत्र ही स्वीकार किया जायेगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र राज्य के निर्धारित ई-मित्र (E-Mitra) के माध्यम से भरे जाने पर अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित राशि कियोस्क सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देनी होगी।
परीक्षा शुल्क:- इस भर्ती परीक्षा के लिये किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क देय नहीं है।	
परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं परीक्षा की योजना (Syllabus, Examination Scheme):-	
LAW OFFICER-II (Syllabus & Examination Scheme):-	
PART-A	
<ul style="list-style-type: none"> Environmental Legislations in India. Environment (Protection) Act, 1986, its amendments and various rules/notification made thereunder. Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, Public Liability Insurance Act, 1991, National Green Tribunal Act, 2010 Right to Information Act, 2005 Roles of judiciary in combating pollution, Social and Civil Society Movements in protecting environment, Concept of "Public Participation", Corporate Environmental Responsibility Role of Pollution Control Board, Policy statement for abatement of pollution-1992, Indian Judiciary on the salient attributes on Right to Environment, Rule of strict liability and its application in environmental jurisprudence 	

- Judicial Activism, Traditional common and criminal law remedies available to the citizen for abatement of pollution, Legal and social challenges to the regulation of the ground water in India
- Constitution of India with special emphasis on Fundamental Rights, Directive Principles and enforcement of right through writs, Functioning of Supreme Court, High Court, National Green Tribunal and various appellate authority constituted under Air Act & Water Act
- Indian Penal Code, Civil Procedure Code and Criminal Procedure Code. Provisions required to be referred generally in Government Office will be given importance
- Evidence Act, Limitation Act, Interpretation of Statutes, drafting and conveyancing, Environment Related Acts & Status, General Administration Law, Important Supreme Court & National Green Tribunal decision on Environment
- National/International events related to environment and common understanding of environmental processes

PART-B

- General Knowledge (with special reference to history, art, culture, traditions, literature, heritage and geography of Rajasthan), Mathematics, reasoning and current affairs.

Examination Scheme: - There will be one paper consisting of two parts having multiple choice type questions. There will be total 75 numbers of questions of 3 marks each. The question paper will be in Hindi and English (Bilingual).

Paper-Subject	No. of Question	Time	Total Marks
PART-A	060	90 Minutes	225
PART-B	015		
Note:- (1) Each question will carry 3 marks.			
(2) One mark will be deducted for each incorrect answer			
(3) 40% shall be the pass marks.			

JUNIOR SCIENTIFIC OFFICER (Syllabus & Examination Scheme):-

PART-A

- Environmental General knowledge:
This section will contain questions on National/International events related to environment and common understanding of environmental processes, National Green Tribunal Act, 2010, Pollution Indices.
- Environmental Impact Assessment/Environmental Legislations in India:
Basic concept of Environmental Impact Assessment and Environment Management Plan; Prediction and assessment of impacts on air, water, biota, noise, cultural and socioeconomic environment; Rapid and comprehensive Environmental Impact Assessment.
- Environment (Protection) Act 1986, its amendments and various rules /notification made thereunder. Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.
- Water/Waste Water/Industrial Waste Water Analysis:
Physical, chemical and biological characteristics of water, waste water and Sewage, performance evaluation of waste water treatment system.
- Air and Noise Pollution:
Sources of air pollution; Properties of air pollutants; Meteorological factors influencing dispersion of air pollutants; Gaussian plume model for dispersion of air pollutants and its application; Effects on human health. Control technology for particulate and gaseous pollutants from industries. Air pollution due to Automobiles and emission control; Principles of measurements and equipment use for major parameters (Water/Air/Noise); Basics of noise pollution, Measurement and management of noise and effects on human beings, Ambient Air Quality standards & Air Quality Index.
- Municipal Solid Waste, Biomedical Waste, E-Waste, Plastic Waste and Hazardous Solid Waste:
Problems associated with Solid Waste viz; municipal, biomedical, hazardous, e-waste, plastic waste etc., its generation, classification, characterization, analysis, treatment, reuse, recycle etc; Risk associated with hazardous waste & its Assessment; Waste Minimization; Priorities in hazardous waste management; hazardous waste treatment.

PART-B

- General Knowledge (with special reference to history, art, culture, traditions, literature, heritage and geography of Rajasthan), Mathematics, reasoning and current affairs.

Examination Scheme: - There will be one paper consisting of two parts having multiple choice type questions. There will be total 75 numbers of questions of 3 marks each. The question paper will be in Hindi and English (Bilingual).

Paper-Subject	No. of Question	Time	Total Marks
PART-A	060	90 Minutes	225
PART-B	015		
Note:- (1) Each question will carry 3 marks.			
(2) One mark will be deducted for each incorrect answer.			
(3) 40% shall be the pass marks.			

JUNIOR ENVIRONMENTAL ENGINEER (Syllabus & Examination Scheme):-

PART-A

- Environmental General Knowledge:
This section will contain questions on National/International events related to environment and common understanding of environmental processes, National Green Tribunal Act, 2010, Pollution Indices.
- Water/Waste Water/Industrial Waste Water Engineering:
Unit processes/Operations related to water and waste water treatment, namely Equalization Coagulation; Flocculation; Settling; filtration; Disinfection; Aeration; Adsorption etc.

Physical, chemical and biological characteristics of water and Sewage; Activated sludge process and its modifications; treatment ponds and aerated lagoons; Trickling filters; Rotating biological contactors; Sequencing Batch reactor and Membrane Batch Reactor.

Anaerobic digestion; Anaerobic filter and UASB, Nitrification & De- nitrification.

Characteristics and treatment of waste water from Textile, Tannery, Dairy, Distillery, Pharmaceutical Industry, Organic Chemical, Vegetable Oil Refinery.
- Air and Noise Pollution:
Sources of air pollution; Properties of air pollutants; Meteorological factors influencing dispersion of air pollutants; Gaussian plume model for dispersion of air pollutants and its applications, Effects on human health. Control technology for particulate and gaseous pollutants from industries. Air pollution due to Automobiles and emission control;

Basic of noise pollution, Measurement and management of noise. Permissible noise levels in different zones, Effects of noise on human beings, Ambient Air Quality standards & Air Quality Index.
- Environmental Impact Assessment/Environmental Legislations in India:
Basic concept of Environmental Impact Assessment, Environmental Impact Statement and Environment Management Plan; Prediction and assessment of impacts on air, water, biota, noise, cultural and socioeconomic environment; Rapid and comprehensive Environmental Impact Assessment.
- Environment (Protection) Act 1986, its amendments and various rules /notification made thereunder. Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.
- Municipal Solid Waste, Biomedical Waste, E-Waste, Plastic Waste and Hazardous Solid Waste:
Problems associated with Solid Waste viz; municipal, biomedical, hazardous, e-waste, plastic waste etc., its generation; classification; characterization; analysis; Onsite Collection Handling, storage Transport and Processing of solid waste; Recovery of Resources, Conversion Products and Energy generation from solid waste. Hazardous waste definition; Risk associated with hazardous waste & its Assessment; Waste Minimization; Priorities in hazardous waste management; hazardous waste treatment.

PART-B

- General Knowledge (with special reference to history, art, culture, traditions, literature, heritage and geography of Rajasthan), Mathematics, reasoning and current affairs.

Examination Scheme: - There will be one paper consisting of two parts having multiple choice type questions. There will be total 75 numbers of questions of 3 marks each. The question paper will be in Hindi and English (Bilingual).

Paper-Subject	No. of Question	Time	Total Marks
PART-A	060	90 Minutes	225
PART-B	015		
Note:- (1) Each question will carry 3 marks.			
(2) One mark will be deducted for each incorrect answer			
(3) 40% shall be the pass marks.			

अति महत्वपूर्ण बिन्दु:-

- (1) अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. अंकित करें जिस पर वह परीक्षा इत्यादि सम्बंधी भावी सूचना SMS & E-Mail के माध्यम से चाहता है। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. बदलने/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (2) आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र ध्यानपूर्वक भरें। आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र अन्तिम रूप से भरने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई है। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को सही मानकर मण्डल द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी।

- (3) अभ्यर्थी मण्डल द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना अपना ऑनलाईन आवेदन करें अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए मण्डल जिम्मेदार नहीं होकर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- (4) आवेदक द्वारा स्वयं/ई-मित्र/अन्य किसी स्रोत से ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरते/भरवाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/भूलवश त्रुटि हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
- (5) यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन-पत्र मण्डल द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/अन्य वर्ग के अभ्यर्थी Online Application Form प्रस्तुत(Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होकर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में जो श्रेणी/वर्ग भरी/भरा है, उसी श्रेणी/वर्ग में ही मानकर कार्यवाही की जाएगी।
- (6) मण्डल द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता(आयु, योग्यता, श्रेणी इत्यादि) की जाँच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
- (7) आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र, आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक मण्डल की वेबसाईट पर पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को मण्डल द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से संबंधित भर्ती परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश-पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि मण्डल द्वारा उसकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लेखित प्रविष्टियाँ मण्डल द्वारा सही मान ली गई हैं। मण्डल द्वारा आवेदकों की पात्रता की जाँच अलग से की जाएगी। यदि अभ्यर्थी की किसी भी कारण से अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
- (8) आवेदक उक्त पद हेतु तभी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में निश्चित निम्न व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत वांछित शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सम्पूर्ण मानदण्ड/मापदण्ड पूर्ण करता हो। साथ ही इस विज्ञापन में दी गई उक्त वांछित शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता एवं अनुभव को मण्डल द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (9) परीक्षार्थियों द्वारा ई-प्रवेश पत्र में उल्लेखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
- (10) राज्य कर्मचारी को देय लाभ यथा आयु सीमा में छूट, आरक्षण इत्यादि केवल राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को ही प्राप्त है। अन्य राज्य के कर्मचारी या केन्द्र सेवा के कर्मचारी सामान्य ही माने जायेंगे, उन्हें उक्त लाभ नहीं दिया जायेगा।
- (11) भर्ती प्रक्रिया लम्बित रहने के दौरान सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किसी भी प्रकार की सूचना भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक उपलब्ध नहीं करवायी जायेगी। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने पर वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध करायी जा सकेगी।
- (12) यह भर्ती प्रक्रिया पूर्व में मण्डल द्वारा की गई भर्ती के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन विधिक प्रकरणों में जारी किये गये आदेश/निर्णय के अधीन रहेगी।

नियुक्ति के लिए अयोग्यताएँ:-

- (अ) यदि किसी अभ्यर्थी/परीक्षार्थी को राज्य की किसी भी भर्ती/परीक्षा बोर्ड द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग/उपभोग या अनुचित/अभद्र व्यवहार के लिए भविष्य की परीक्षाओं/साक्षात्कारों आदि से विवर्जित (Debar) किया गया है, तो मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- (ब) किसी भी ऐसे पुरुष/महिला अभ्यर्थी को जिसके एक से अधिक जीवित पत्नी/पति हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये उसके पास विशेष आधार है।
- (स) किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है, जिसके पहले जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है, यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये उसके पास विशेष आधार है।
- (द) किसी भी विवाहित पुरुष/महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया है।
स्पष्टीकरण:-इस नियम के प्रयोजन हेतु दहेज से वही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिरोध एक्ट, 1961 (सेन्ट्रल एक्ट, 28 ऑफ 1961) में है।
- (य) राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक:प.6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राज्य सेवा एवं मण्डल सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है।
- (र) राजस्थान लोक सेवा आयोग/राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं कर पायेंगे।
- (ल) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये तब तक निरहित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि दिनांक 01.06.2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि किसी भी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा/संतान है, किन्तु किसी एक पश्चात्पूर्वी प्रसव से एक से अधिक बच्चे/संताने पैदा होते हैं, वहाँ बच्चों/संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुये बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है वह ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो। इस उप-नियम के उपबंध किसी विधवा और विच्छिन्न-विवाह महिलाओं की नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे। तत्संबंधी शपथ-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वाँछनीय होगा।
- (व) ऐसे अभ्यर्थी जो धूम्रपान एवं गुटखा सेवन करते हैं, वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।
- (स) यदि किसी आवेदक द्वारा भर्ती के समय उपलब्ध करवायी गई जानकारी/सूचना दस्तावेज सत्यापन के समय अथवा नियुक्ति के पश्चात् असत्य पायी जाती है तो इस सम्बन्ध में समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी एवं आवेदक का चयन तत्समय निरस्त कर दिया जायेगा तथा आवेदक का इस सम्बन्ध में राज्य मण्डल के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार मान्य नहीं होगा।


प्रमाण-पत्रों का सत्यापन:-

आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/टी.एस.पी./भूतपूर्व सैनिक/विधवा/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता/विकलांगता/अन्य) का लाभ तब ही देय होगा जबकि परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उनकी पात्रता की जाँच कर ली गई हो तथा दस्तावेज सही पाये गए हों। अतः पात्रता की जाँच हेतु निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जावे:-

1. कार्मिक(क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 20.01.2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण-पत्र ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा परन्तु यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अन्तिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अन्तिम तिथि के पश्चात् जारी किया हुआ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह आवेदन की अन्तिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाये जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
2. जाति प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिये।
3. पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है। पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार नवीनतम जारी किये हुए होने आवश्यक हैं।
4. पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
5. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को **Online Application Form** में सामान्य वर्ग के आवेदन के रूप में आवेदन करना होगा।
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
7. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा।
8. शैक्षणिक योग्यता परीक्षा दिनांक तक अर्जित होना आवश्यक है तथा शेष सभी जैसे- श्रेणी/वर्ग/जाति/टी.एस.पी./उत्कृष्ट खिलाड़ी(सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र), आयु(आयु की गणना हेतु सैकण्डरी परीक्षा प्रमाण-पत्र)(मण्डल की वेबसाईट पर उपलब्ध दिशा-निर्देशानुसार प्रमाण-पत्र), विकलांगता(सम्पूर्ण भारत वर्ष के किसी भी राज्य के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण-पत्र जिसमें निःशक्तता की श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख) राज्य कर्मचारी एवं अन्य के अनुसार प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन-पत्र की अन्तिम दिनांक तक जारी होना आवश्यक है। विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं पति के नाम से लिंक प्रमाण पत्र तथा परित्यक्ता श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास माननीय न्यायालय द्वारा पारित तलाक सम्बन्धी डिक्री परीक्षा का मूल परिणाम जारी होने की दिनांक तक होना आवश्यक है।
9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिये तथा टी.एस.पी. क्षेत्र का प्रमाण-पत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार उक्त अधिसूचना जारी होने के पश्चात् का एवं ऑन लाईन आवेदन की तिथि से पूर्व का जारी किया हुआ होना चाहिये।
10. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र(**Income & Assets Certificate**) अभ्यर्थी एवं उसके पिता के नाम को दर्शाते हुए नियमानुसार पारिवारिक आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा।
11. भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रावधान-कार्मिक(क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है, पर उसने सक्षम अधिकारी से निराक्षेप प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पद ग्रहण करने से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाण पत्र (N.O.C.) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पद ग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। **कार्मिक (क-4/2) विभाग के पत्र दिनांक 19.07.2021 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किये जाने के पश्चात् सेवानिवृत्ति के प्रमाण का प्रस्तुतिकरण के लिए 1 वर्ष की अवधि की गणना आवेदन पत्र की अन्तिम तिथि से की जायेगी।** साथ ही यदि किसी भूतपूर्व सैनिक ने आरक्षण का लाभ लेने के पश्चात् राजस्थान सरकार के अधीन किसी पद पर एक बार सेवा ग्रहण कर ली है तो राजस्थान सरकार के अधीन पुनर्नियोजन के प्रयोजन के लिए उसकी भूतपूर्व सैनिक की प्रारिथित समाप्त हो जायेगी। राजस्थान सरकार के अधीन नियोजन ग्रहण करने के पश्चात् किसी व्यक्ति को एक सिविल कर्मचारी माना जायेगा। परन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां किसी भी पद के लिये, किसी निम्न पद का अनुभव अनिवार्य है, भूतपूर्व सैनिक को केवल इस कारण से कि वह, सरकारी सेवा में किसी निम्नतर पद, जिसका अनुभव उच्चतर पद पर सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित है, पर नियोजित है, भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिये आवेदन करता है और सम्बन्धित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारम्भिक पद ग्रहण करने से पूर्व विभिन्न पद जिसके लिये जिसने आवेदन किया है, के लिये आवेदन की तारीख-वार व्योसों के बारे में कोई स्वतः घोषणा पत्र/बचनबन्ध देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिये उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और भी कि भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमित्तिक/संविदा/अस्थायी/तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है तो भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। **कार्मिक(क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान**

	सिविल सेवाएँ (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभ, राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही देय है।
12.	विधवा/परित्यक्ता/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या विधवा/परित्यक्ता/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13.	आवेदक को अंतिम शैक्षणिक संस्था का चरित्र प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चरित्र के संबंध में कम से कम अच्छा का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा।
14.	आवेदक को चयन उपरान्त आचरण सम्बंधी पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा, जिसमें आवेदक के खिलाफ ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा।
15.	आवेदक को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जाँच सम्बंधी चिकित्सा प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णरूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है।
16.	आवेदक जो पहले से ही सरकारी सेवा यथा/जैसे केन्द्रीय/राज्य/सरकारी उपक्रमों में नियुक्त है एवं उनका चयन उक्त पदों हेतु भर्ती में हो गया है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
17.	अभ्यर्थी की पात्रता के सम्बन्ध में संबंधित सेवा नियम के अनुसार मण्डल का निर्णय अंतिम होगा।
	आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना/अपूर्ण आवेदन-पत्र/सूचना नहीं भरने के संबंध में विशेष निर्देश:- अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए परीक्षार्थियों हेतु मण्डल द्वारा मण्डल की वेबसाइट पर जारी निर्देशों का अध्ययन आवश्यक रूप से करते हुए आवेदन-पत्र भरें। ऑनलाईन आवेदन पत्र में कोई गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना पाये जाने पर आवेदक का आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जावेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र के सुधार हेतु व्यक्तिशः/ऑफलाईन प्रार्थना-पत्र/ऑनलाईन प्रार्थना-पत्र/पत्र-व्यवहार इत्यादि स्वीकार नहीं किया जाएगा। चूंकि मण्डल द्वारा अभ्यर्थी की पात्रता की जाँच सम्बंधित भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी होने के पश्चात् अस्थायी रूप से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत आवेदन-पत्र के माध्यम से पूर्व किये गये ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना के आधार पर की जाती है। इसलिए ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को सही मानते हुए भर्ती परीक्षा में अस्थायी प्रवेश दिया जायेगा। अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अपूर्ण सूचना भरी है, तो अभ्यर्थी का चयन रद्द करने का अधिकार मण्डल का होगा व इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी जिसके सम्बंध में अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।
	विशेष नोट:- यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मण्डल द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पद हेतु समस्त स्थिति उक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है अगर फिर भी आवेदक/ई-मित्र/अन्य स्रोत द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती/त्रुटि/लोप/अपूर्ण सूचना रह जाती है या आवेदक विज्ञापन के अनुसार पूर्ण पात्रता नहीं रखता है, इत्यादि के कारण आवेदक का ऑनलाईन/विस्तृत आवेदन-पत्र मण्डल द्वारा भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण पर खारिज/निरस्त कर दिया जाता है, तो इस संबंध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होगा। आवेदक को चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में सम्मिलित होने के लिए यात्रा-भत्ता अथवा दैनिक भत्ता आदि देय नहीं होगा।

अन्य बिन्दु व सूचना:- आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए मण्डल की वेबसाइट <http://environment.rajasthan.gov.in/rpcb> पर उपलब्ध सामान्य दिशा-निर्देश का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त इस परीक्षा के संबंध में समय-समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन मण्डल की वेबसाइट पर कर सकते हैं।


 (विजय एन.)
 सदस्य सचिव